

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17—जनवरी 23, 2015 (पौष 27, 1936)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17—JANUARY 23, 2014 (PAUSA 27, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई—400001, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

बैंकिंग वि.सं. पीएसबीडी.8931 / 16.01.072 / 2014-15—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि दिनांक नवंबर 24, 2014 से उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :

“The Ratnakar Bank Limited” की जगह “RBL Bank Limited” शब्द होंगे।

एन. एस. विश्वनाथन
कार्यपालक निदेशक

स.बैं.वि.वि.कै.क्रा. ग्रा.स.बैं.वि. सं. 01/19.51.025/2014-15—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में “हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, शिमला” को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है।

एन. एस. विश्वनाथन
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 16 दिसंबर 2014

ए एण्ड एस क्र. 07/2014-15---एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (अनुपंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार भारत सरकार से विचार विमर्श के बाद, भारतीय स्टेट बैंक श्री वेंकट चंगावल्ली, निवासी विला 105, हिल काउंटी, निज़ामपेट, हैदराबाद - 500090, को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि, दिनांक 16 दिसंबर 2014 से 15 दिसंबर 2017 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

अरुंधति भट्टाचार्य

अध्यक्ष

ए एण्ड एस क्र. 08/2014-15---एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (अनुपंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार भारत सरकार से विचार विमर्श के बाद, भारतीय स्टेट बैंक श्री बलदेव गर्ग, निवासी 3570, सेक्टर 35 डी, चंडीगढ़ - 160022, को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि, दिनांक 21 दिसंबर 2014 से 20 दिसंबर 2017 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

अरुंधति भट्टाचार्य

अध्यक्ष

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसंबर 2014

संख्या. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.14/सीएमडी/2014—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30 और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों के प्रयोग से, राष्ट्रीय आवास बैंक सार्वजनिक हित में इसे अनिवार्य समझते हुए और इस तथ्य से संतुष्ट होने के कारण कि देश की आवास वित्त प्रणाली को इसके लाभ के लिये विनियमित करने में इसे सक्षम बनाने के उद्देश्य हेतु, ऐसा करना अनिवार्य है, एतद द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2010 (यहां इसके बाद प्रमुख निर्देश के तौर पर उल्लिखित), तुरंत प्रभाव से, निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाएगा, यथा —

अनुच्छेद 27 क में संशोधन

मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 27 क के, उप-अनुच्छेद (1) के अंत में निम्नलिखित को हटाया जाता है —

“परंतु कि अगर व्यक्ति को दिया जाने वाला आवास ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मॉर्टगेज गारंटी कंपनियों के लिए बनाए गए मार्गनिर्देशों के तहत पंजीकृत मॉर्टगेज गारंटी कंपनी के मॉर्टगेज गारंटी उत्पाद से गारंटी शुदा है, ऐसी दशा में आवास वित्त कंपनी 90 प्रतिशत के समग्र एलटीवी अनुपात के अध्यक्षीन, उक्त निर्धारित अनुपात से अधिक अतिरिक्त आवास ऋण, गारंटीशुदा ऐसे आवास ऋण भाग के लिए प्रदान करेगी। तथापि यह निर्धारित सीमा से अधिक ऋण ऐसे ऋण के मॉर्टगेज गारंटी कवर से ज्यादा नहीं होने के अध्यक्षीन होगा।”

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 15th December 2014

DBR.PSBD.No. 8931/16.01.072/2014-15—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made with effect from November 24, 2014 in the Second Schedule to the said Act namely :-

For the words “The Ratnakar Bank Limited”, the words “RBL Bank Limited” shall be substituted.

N.S.VISHWANATHAN
Executive Director

DCBR. CO.RCBD. No. 01/19.51.025/2014-15—In pursuance of Clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion of "The Himachal Pradesh State Cooperative Bank Ltd, Shimla" in the Second Schedule to the said Act.

N.S.VISHWANATHAN
Executive Director

STATE BANK OF INDIA

MUMBAI, the 16th December 2014

A&S No. 07/2014-15—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has, in consultation with the Central Government, nominated Shri Venkat Changavalli, residing at Villa 105, Hill County, Nizampet, Hyderabad - 500090, as a Director on the Board of Directors of State Bank of Hyderabad for a period of three years with effect from 16th December 2014 to 15th December 2017 (both days inclusive).

ARUNDHATI BHATTACHARYA
Chairman

A&S No. 08/2014-15—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has, in consultation with the Central Government, nominated Shri Baldev Garg, residing at 3570, Sector 35 D, Chandigarh - 160022, as a Director on the Board of Directors of State Bank of Patiala for a period of three years with effect from 21st December 2014 to 20th December 2017 (both days inclusive).

ARUNDHATI BHATTACHARYA
Chairman

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 23rd December 2014

No. NHB.HFC.DIR.14/CMD/2014—In exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank, having considered it necessary in the public interest, and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 (hereinafter referred to as the principal Directions) shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely –

Amendment of paragraph 27A

In Paragraph 27A of the principal Directions, in sub-paragraph (1), the following proviso shall be deleted –

“Provided that the housing loan to Individual above Rs.20 lakh shall be granted by a housing finance company with higher LTV ratio not exceeding 90%, where such loan is guaranteed by a mortgage guarantee company registered with the Reserve Bank of India in accordance with the Reserve Bank of India Guidelines for Mortgage Guarantee Companies, subject to the excess over the prescribed limit not exceeding the extent of the mortgage guarantee cover of such loan.”

MOHAMMAD MUSTAFA
Chairman and Managing Director

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in